

हुडको/लिस्ट. कम्प./एसई/2024

29 अगस्त, 2024

लिस्टिंग विभाग

बीएसई लिमिटेड

फ़िरोज़ जीजीभाय टावर्स

दलाल स्ट्रीट

मुंबई - 400001

स्क्रिप कोड: 540530

लिस्टिंग विभाग

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)

मुंबई - 400051

स्क्रिप कोड: हुडको

विषय: सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अंतर्गत कॉर्पोरेट प्रकटीकरण - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ("एनबीएफसी-आईएफसी") के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्राप्ति ।

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 30 के अंतर्गत कॉर्पोरेट प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुरूप, हम सूचित करना चाहते हैं कि:

कंपनी को आज यानी 29 अगस्त, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकरण संख्या एन-14.03626 दिनांक 23 अगस्त, 2024 के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ("एनबीएफसी-आईएफसी") के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत आवश्यक अन्य विवरण, सेबी परिपत्र दिनांक 13 जुलाई, 2023 के साथ पठित, **अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न हैं ।**

यह आपकी जानकारी के लिए है.

धन्यवाद

भवदीय

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विवरण	जानकारी
विनियामक या लाइसेंसिंग प्राधिकरण का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई")
अनुमोदन/प्राप्त/वापस लिए गए/समर्पित किए गए लाइसेंस का संक्षिप्त विवरण	इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ("एनबीएफसी-आईएफसी") – के रूप में पंजीकरण
सूचीबद्ध इकाई पर ऐसे अनुमोदन/लाइसेंस का प्रभाव/प्रासंगिकता	आईएफसी दर्जा कंपनी को आवास के अतिरिक्त विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को वित्तपोषण के लिए उच्च जोखिम सीमा प्रदान करता है।
विनियामक या लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस/अनुमोदन को वापस लेना/रद्द करना या निलंबित करना, ऐसी कार्रवाई के कारण, सूचीबद्ध इकाई पर अनुमानित प्रभाव (मौद्रिक या अन्यथा) और जुर्माना, यदि कोई हो	लागू नहीं
वह अवधि जिसके लिए ऐसा अनुमोदन/लाइसेंस वैध है/था	लागू नहीं
इसके बाद, सूचीबद्ध इकाई स्टॉक एक्सचेंज को प्रमुख लाइसेंस/अनुमोदन की वापसी, निरस्तीकरण या निलंबन के अनुसरण में सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों के साथ-साथ वास्तविक प्रभाव (मौद्रिक या अन्यथा) की जानकारी देगी।	लागू नहीं
